प्रेषक,

डा0 ललित वर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

393
30/7/10

सेवा में,

महानिदेशक,
प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल
एवं युवा कल्याण, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

युवा कल्याण अनुभाग लखनऊ :दिनॉक: 29 जुलाई, 2010

विषयः– पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान योजनान्तर्गत (राज्य सेक्टर) भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश रू0 21,04,88,000/– की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवर सचिव, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के पत्र संख्या–एफ–नं06–45/2008–एस0पी0– (पायका) (।।)0433/10635, दिनांक 11 मई, 2010 तथा आपके पत्र संख्या–214/चार–09/यु0क0/2006, दिनांक 07 जून, 2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र तथा राज्य सरकार के क्रमशः 75–25 प्रतिशत वित्तीय सहयोग से प्रदेश में पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान योजना वित्तीय वर्ष 2008–09 से लागू की गयी है। इस योजना हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–11 में आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 561300/– हजार में केन्द्रांश रू0 420975 हजार है, जिसके सापेक्ष भारत सरकार द्वारा उनके उपरोक्त पत्र दिनांक 11 मई, 2010 के अनुसार रू0 21,04,87,500/– (रूपये इक्कीस करोड चार लाख सत्तासी हजार पॉच सौ मात्र) की दूसरी अवशेष किश्त पंचायत युवा क्रीडा एवं खेल अभियान योजना के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत की गयी है तथा उक्त धनराशि राज्य सरकार के समेकित निधि में जमा हो चुकी है। अतः उक्त धनराशि रू0 21,04,87,500/– को निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकृत कर महानिदेशक, प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल एवं युवा कल्याण,उ0प्र0,लखनऊ के निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैः–

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी और निधानुसार उपयोग उसी प्रयोजन में किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है। अन्य किसी मद में धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा। यदि कोई धनराशि बचती

–2/–

है तो उसे निर्धारित अवधि में शासन को समर्पित किया जाय। उपयोगिता प्र... वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–11 की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र उपलब्ध कराय... ।

(2) स्वीकृत धनराशि का उपयोग योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों एवं समय–समय पर संशोधित सामान्य वित्तीय नियमों की शर्तो के अधीन तथा योजना के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

(3) वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का अनुश्रवण महानिदेशक, प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल एवं युवा कल्याण,उ0प्र0,लखनऊ द्वारा किया जायेगा।

(4) प्रशासनिक व्यय के मितव्ययिता के नवीनतम आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए मितव्ययिता के मदों में अपेक्षित प्रतिशत तक की धनराशि रोक कर व्यय सुनिश्चित किया जाए।

2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुदान संख्या–14 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक"2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0102–पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान(के0–75/रा0, 25के0+रा0)–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता" के नामे डाला जायेगा।

3– ये आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–458/ई–2–दस–2010, दिनांक 24–07–2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0ललित वर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 1021-(1)/पचास–यु0क0–2010तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1– सचिव, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार शास्त्री भवन नई दिल्ली ।
2– महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम,उ0प्र0, इलाहाबाद।
3– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।
4– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5– वित्त (व्यय–नियंत्रण)अनुभाग–2/वित्त संसाधन(केन्द्रीय सहायता) अनुभाग/वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–1
6– नियोजन अनुभाग–3
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0ललित वर्मा)
प्रमुख सचिव।